कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

क्रमांकः 246

दिनांकः 09-4-24

– संशोधित कार्यालय आदेश –

वर्ष 2024 के माह अप्रेल में दिनांक 30.04.2024 तक आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु झुंझुनूं न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/176 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए पूर्व में दिनांक 02.04.2024 को आदेश पारित किया गया था, परंतु झुंझुनूं न्यायक्षेत्र से मजिस्ट्रेटस का स्थानांतरण हो जाने के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए निम्नानुसार संशोधित आदेश पारित कर निम्नलिखित तारीखों को उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेटस को अधिकृत किया जाता हैः–

क्र.सं.	दिनांक	मजिस्ट्रेट का नाम व दर्जा
01.	10.04.2024	श्रीमती संगीता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़
02.	11.04.2024	श्रीमती संगीता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़
03.	13.04.2024	श्रीमती नीलिमा पंवार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी
04.	14.04.2024	श्रीमती नीलिमा पंवार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी
05.	17.04.2024	श्रीमती मोनिका खीचड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी
06.	21.04.2024	श्री आकाश कुमार, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
07.	27.04.2024	श्रीमती रीतिका चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
08.	28.04.2024	श्रीमती रीतिका चौहान, अतिरिक्त मुख्यं न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

1. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय अवकाश/स्थानीय अवकाश (यथा मतदान दिवस 19 अप्रेल, 2024) घोषित हो जाने पर घोषित अवकाश के दिवस को बेल रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समस्त झुंझुनूं न्यायक्षेत्र के लिए श्री तुषार विश्नोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुहाना की ड्यूटी लगाई जाती है।
2. यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित लिंक मजिस्ट्रेट उपलब्ध हो तो उनसे भी बेल, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
3. **उक्त आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में ड्यूटी परिवर्तन हेतु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं की पूर्वानुमति से अपने स्तर पर अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर प्रार्थना पत्र मय सहमति के इस कार्यालय में प्रेषित किया जाने के उपरांत ही प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावेगा। जिसकी कड़ाई से पालना की जावे और इस बाबत अनावश्यक मौखिक वार्ता नहीं की जावे।**
4. तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है वही न्यायिक अधिकारी तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी पर करेगा।
5. अवकाश के दौरान प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिमांड कागजात एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

(पुरवा चतुर्वेदी) 09/4/24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

झुंझुनूं (राज.)

क्रमांकः ~~शपथ~~ 2582 दिनांकः 09-4-24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुंझुनूं।
2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी/झुंझुनूं
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी/सूरजगढ़/बुहाना
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
5. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत।
6. प्रभारी अधिकारी, वायरलेस शाखा, झुंझुनूं।
7. अध्यक्ष, बार संघ, झुंझुनूं।
8. जिला आबकारी अधिकारी, झुंझुनूं समस्त आबकारी थानों को सूचित करने बाबत।
9. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(पुरवा चतुर्वेदी) 09/4/24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

झुंझुनूं (राज.)